न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 128/2017 **दायरा दिनांक : 12.09.2017**

उनवान

1– घनश्याम आत्मज रामप्रताप, जाति मीणा, निवासी लीमी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2– गिर्राज आत्मज रामप्रताप, जाति मीणा, निवासी लीमी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– घनश्याम पुत्र बिरधा, जाति मीणा, निवासी लीमी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2– मन्नालाल पुत्र बिरधा, जाति मीणा, निवासी लीमी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3– धनराज पुत्र गोपाल, जाति मीणा, निवासी सेवनी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :–

3/1– फूलचन्द पुत्र धनराज, जाति मीणा, निवासी सेवनी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3/2– नरेश पुत्र धनराज, जाति मीणा, निवासी सेवनी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3/3– वसुन्धरा बाई पुत्री धनराज, जाति मीणा, निवासी सेवनी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3/4– रीना बाई पुत्री धनराज, जाति मीणा, निवासी सेवनी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3/5– सुगना बाई पुत्री धनराज, जाति मीणा, निवासी सेवनी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

4– महावीर पुत्र लेखराज, जाति मीणा, निवासी सेवनी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

5– मुरारी लाल पुत्र लेखराज, जाति मीणा, निवासी सेवनी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

6– अयोध्या बाई विधवा पत्नी लेखराज, जाति मीणा, निवासी सेवनी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

7– जमना बाई पुत्री बिरधा पत्नी धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी बरखेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

8– कोशल्या बाई पुत्री बिरधा पत्नी सूरजमल, जाति मीणा, निवासी कालारेवा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

9– पारा बाई विधवा पत्नी बिरधा, जाति मीणा, निवासी सेवनी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

10– केलाशी बाई पुत्री बिरधी पत्नी बिरधीलाल, जाति मीणा, निवासी भदकडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

11– बलराम पुत्र रामप्रताप, जाति मीणा, निवासी सेवनी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ए के जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री इन्द्रलाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 13.04.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 755/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम खण्डी, तहसील खानपुर के माल में घनश्याम, मन्ना लाल, जमना बाई, कोशल्या बाई, केलाश बाई, पारा बाई, धनराज, रूपाबाई, रामप्रताप, मुरारीलाल, महावीर, अयोध्याबाई के शामलाती खाते में जमाबंदी संख्या 72 की खसरा नम्बर 238 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 244 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 245 रकबा 5 बिस्वा कुल 3 किता की 7 बीघा 14 बिस्वा आराजी स्थित है । सहखातेदार पारा बाई, रामप्रताप की मृत्यु हो चुकी है । धनराज की भी मृत्यु हो चुकी है । धनराज के वारिस फूलचन्द, नरेश व वसुन्धरा बाई, रीना बाई और सुगना बाई है । वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक है । वादीगण ने प्रतिवादी रामप्रताप को 5 वर्ष के मुनाफे काश्त पर जुपाई थी । प्रतिवादी ने कोई मुनाफा राशि अदा नहीं की है और कब्जा भी नहीं छोड़ा है । अतः दावा वादी स्वीकार कर प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 17.05.2017 को दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि रेस्पोडेंट वादीगण ने रामप्रताप के कायम मुकामान बनाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और उसे अचानक लोक अदालत में रखा गया और उसी दिन को निर्णय पारित किया गया । अपीलांट को न तो कोई नोटिस जारी

किया गया है और न ही केम्प की कोई सूचना दी गई है । डिक्री सी पी सी के प्रावधानों के विपरीत है, न तो बयान लिये गये हैं और न ही दस्तावेजात को एक्जीविट करवाया गया है । वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पिता ने क्रय कर सन् 1992 से कब्जा प्राप्त किया था। जब से इस पर अपीलांटगण का कब्जा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.09.2015 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि मृतक के कायम मुकामान के प्रार्थना पत्र में पत्रावली लम्बित थी और उसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत की कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई । सी पी सी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है, न ही बयान हुए हैं और न ही कोई दस्तावेज एक्जीविट हुए हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 2016 पेज 135, आर आर टी 2003 पेज 647, आर आर टी 2016 पेज 1, आर आर डी 2018 पेज 121 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि प्रतिवादी नम्बर 1 की मृत्यु हुई थी । प्रतिवादी नम्बर 2 उसका पुत्र है । लोक अदालत ने विधिक प्रावधानों के अनुरूप निर्णय पारित किया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पूर्व में ही दिनांक 09.03.2018 को स्वीकार किया जाकर विलम्ब का शमन किया जा चुका है ।

अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली आर्डर 22 नियम 4 के प्रार्थना पत्र के जवाब में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया है । लोक अदालत में सिर्फ वादी उपस्थित हुए हैं, अन्य कोई उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारों ने कोई लिखित राजीनामा पेश किया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 4 का जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर, अपीलांट प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर

तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.06.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा